

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या:- 03/2019/537/36-03-2019-02(सा0)/14

लखनऊ : दिनांक 01 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-26 सन 1962) की धारा-3 की उप धारा-3 के अधीन शक्ति को प्रयोग करके श्री राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा 138- निघासन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद-खीरी) के उप निर्वाचन-2019 मतदान निम्नानुसार 07 चरणों में निर्धारित है उक्त अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा ।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा 138 निघासन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद खीरी) के उप निर्वाचन-2019

क्र०स०	चरण	मतदान का दिनांक	जिलों का नाम
1	प्रथम	11 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार)	सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्धनगर तथा बुलन्दशहर ।
2	द्वितीय	18 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार)	बिजनौर, अमरोहा, हापुड बुलन्दशहर, अलीगढ, हाथरस, मथुरा, आगरा तथा एटा ।
3	तृतीय	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सम्भल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासंगज, बदायूँ, बरेली तथा पीलीभीत।
4	चतुर्थ	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	शाहजहाँपुर, खीरी, हरदोई, कानपुर नगर, सीतापुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा तथा महोबा। (वि०स०नि० क्षेत्र 138- निघासन जनपद खीरी के अन्तर्गत आता है)
5	पंचम	06 मई, 2019 (सोमवार)	खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ, बाराबंकी,

			अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, तथा गोण्डा ।
6	षष्ठम	12 मई, 2019 (रविवार)	सुल्तानपुर, प्रतापगढ, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, आजमगढ, जौनपुर, वाराणसी, तथा भदोही।
7	सप्तम	19 मई, 2019 (रविवार)	महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मीरजापुर तथा सोनभद्र।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 03 /2019/ 537 (1) /36-03-2019 तददिनांक

- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड- ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना की 100 प्रतियाँ श्रम अनुभाग-3 बापू भवन 30प्र0 सचिवालय लखनऊ एवं 100 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, 30प्र0 जी0टी0रोड कादपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त ।
- 3- समस्त निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- श्रम आयुक्त, 30प्र0 कानपुर।
- 5- निदेशक कारखाना, 30प्र0 ।
- 6- संबंधित अवर/उप/सहायक श्रमायुक्त (द्वारा श्रमायुक्त, 30प्र0)
- 7- उप/सहायक निदेशक कारखाना, 30प्र0।
- 8- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विकास भवन जनपद लखनऊ।
- 9- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/निदेशक दूरदर्शन तथा निदेशक आकाशवाणी को जनसाधारण की सूचना हेतु प्रसार-प्रसार के लिए ।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
संयुक्त सचिव ।